



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 20, 1991/फाल्गुन 29, 1912
No. 176] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 20, 1991/PHALGUNA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1991

का.आ. 198(अ):—जल (प्रदूषण के निवारण एवं
नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4, खण्ड (4) और
वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के
क्षेत्र में जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधि-
नियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)
अधिनियम, 1981 के अधीन बोर्ड में निहित सभी शक्तियों
को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समिति
को प्रत्यायोजित करना है:—

1. सचिव
पर्यावरण
2. निदेशक
पर्यावरण

अध्यक्ष

सदस्य सचिव

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मनो- सदस्य
नीत प्रतिनिधि
4. सचिव सदस्य
एन.एस.जी.

यह अधिसूचना 1 जून, 1991 से लागू होगी।
[सं. विधि/158/(4)/90]

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th March, 1991

S.O. 198(E). - In exercise of the powers conferred
by Section 4, Clause (4) of the Water (Prevention and
Control of Pollution) Act, 1974, and Section 6 of the
Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981,
the Central Pollution Control Board delegates all the
powers vested in the said Board under the Water
(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and
the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, in respect of the Union Territory of Delhi to